न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुन

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 91/2023 दायर दिनांक–10.07.2023

1 बैजनाथ पारीक पुत्र महावीर प्रसाद जाति पुरोहित (ब्राहम्ण) निवासी ग्राम सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

बनाम

1. संजय कुमार पुत्र गुल्लाराम उर्फ गुलझारी
2. अनिता देवी पत्नी गुल्लाराम उर्फ गुलझारी
3. महाबीर पुत्र पोकरराम
4. विधाधर पुत्र पोकरराम समस्त जाति जाट निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
6. तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रति॰ नं॰ :– श्री विकास सैनी

दावा बाबत विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 21.10.2024

वाद वादी दिनांक 02.07.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू0 अ0/2024/5071 दिनांक 08.10.2024 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। उभय पक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय किये जाने हेतु सहमति दी। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम सौंथली पटवार हल्का बुगाला की सहरद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 1.60 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	बैजनाथ पारीक पुत्र महावीर प्रसाद जाति पुरोहित साकिन देह खातेदार	521/1	0.40	बारानी 1
2	महाबीर, विधाधर पिता पोकरराम हिस्सा बराबर 2/3, अनिता देवी पत्नि गुल्लाराम उर्फ गुलझारी हिस्सा 1/6, संजय कुमार पुत्र गुल्लाराम उर्फ गुलझारी हिस्सा 1/6 समस्त जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन महाबीर व विधाधर का सम्पूर्ण हिस्सा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मुतहिन	522/2 521	1.20	बारानी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:44:03 IST
Reason: Self Attested

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम

नोट :- आदेशिका दिनांक 25/11/24 के अनुसरण मे खसरा नं. 522/2 के स्थान पर 521/2 दुरुस्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

32

हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:44:03 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
पीठासीन अधिकारी :– सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.).

मुकदमा नम्बर 91/2023

दावा : विभाजन

(बैजनाथ पारीक बनाम संजय कुमार आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.10.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम ग्राम सौंथली पटवार हल्का बुगाला की सहरद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 1.60 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	बैजनाथ पारीक पुत्र महावीर प्रसाद जाति पुरोहित साकिन देह खातेदार	521/1	0.40	बारानी 1
2	महाबीर, विधाधर पिता पोकरराम हिस्सा बराबर 2/3, अनिता देवी पत्नि गुल्लाराम उर्फ गुलझारी हिस्सा 1/6, संजय कुमार पुत्र गुल्लाराम उर्फ गुलझारी हिस्सा 1/6 समस्त जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन महाबीर व विधाधर का सम्पूर्ण हिस्सा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा जाखल मूर्तहीन	522/2 (कटा हुआ) 521/2	1.20	बारानी 1

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.10.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

नोट :- आदेशिका दिनांक 25/11/24 के अनुशरण में खसरा नम्बर 522/2 के स्थान पर 521/2 दुरुस्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:44:03 IST
Reason: SelfAttested